RAHUL CHOUDHARY & ASSOCIATES
Chartered Accountants
LIG-A-228, E-7 Arera Colony, Bhopal-462016 Madhya Pradesh
Phone : 9425149048, E-Mail : choudharyrahulca@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

प्रति,
सदस्य,
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित,
विदिशा (म.प्र)

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट

अंकेक्षण प्रमाणपत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि, हमारेद्वाराजिला सहकारी केन्द्रीय बैंक विदिशा का वर्ष 2024-2025का अंकेक्षण मध्यप्रदेश सहकारी समितिया अधिनियम एव पंजीयक सहकारी समितिया मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा प्रस्तावित विधि से पूर्ण किया गया हैं।

बैंक का पंजीयन पत्र बैंक कार्यालय में उपलब्ध हैं।

हमारे द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, विदिशा के 31 मार्च 2025को समाप्त होने वाले वर्ष के वित्तीय पत्रक, तुलनपत्र एवं लाभ हानि पत्रक जो प्रधान कार्यालय तथा शाखाओ द्वारा भेजे गये लेखाओ से सम्बंधित है की जांच की गयी हैं।

अतः हमारे मत के अंकेक्षण टीप में उल्लेखित आक्षेपों को छोड़कर :-

हम सूचित करते हैं कि :-

1) हमारे मत से बैंक का व्यव्हार साधारणतः सही व इमानदारी से बैंक उपनियमो, सहकारी संस्थाओ की प्रचलित धाराओ, उसके अंतर्गत बनाये गये नियमो, पंजीयक द्वारा समय समय पर प्रसारित परिपत्रो एवं बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट 1949 जो सहकारी बैंको पर लागु होता हैं के अनुसार पाई गयी त्रुटियों का उल्लेख अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रस्तुत की गयी टीप में हैं।

2) हमारी जानकारी के अनुसार जो हमें दर्शित कराया गया तथा बैंक के जो रजिस्टर्स हमें बताये गये, उसके अनुसार स्तिथि विवरण पत्रक हमारे द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रस्तुत की गयी जानकारी के अधीन आक्षेपों की पूर्ती होने पर परिपूर्ण तथा ठीक हैं।

3) जब कभी हमारे द्वारा स्पष्टीकरण अथवा सुचना प्राप्त करना चाही, प्रस्तुत टीप के अधीन हमें सुचना व स्पष्टीकरण बैंक से प्राप्त हुई हैं।

4) बैंक के व्यव्हार जो हमारी जानकारी में आये, अंकेक्षण में प्रस्तुत की गयी टीप के अधीन बैंक के कार्यों की सीमा में हुए ।

5) बैंक का लाभ हानि पत्रक अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रस्तुत की गयी टीप के अधीन शुद्ध लाभ का सही विवरण प्रस्तुत करता हैं।

6) हमारे मत से बैंक की स्तिथि विवरण व लाभ हानि पत्रक, अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रस्तुत की गयी टीप के नियमानुसार बनाये गये हैं तथा हिसाव खाते में रखे गये हैं।

-: प्रमुख लेखा परीक्षा मामले जो हमारी निष्पक्ष राय को प्रभावित करते हैं उनके आधारः-

1) नाबार्ड द्वारा ब्याज सब्सिडी के भुगतान के समय बैंक द्वारा उन पर ऋण पर अतिरिक व्याज काटा जाता हैं जिसका बैंक द्वारा लेखांकन उसी वर्ष में किया जा रहा हैं जिस वर्ष में ब्याज की सब्सिडी प्राप्त होती हैं जबकि ब्याज का प्रावधान बेसिस पर किया जाना चाहिए, जबकि गणना किया जाना संभव न होने से बैंक द्वारा पेमेंट बेसिस पर किया जा रहा हैं, जिसका उल्लेख नोट्स ओन अकाउंट में भी किया गया हैं।

2) प्राथमिक कृषि संस्थानों के साथ बैंक के खातो का मिलान का अंकेक्षित पत्रक उपलब्ध न होने से उनके द्वारा दिए गये ऋण एवं अग्रिम का मिलान, अंतर पता नहीं किए जाने के कारण इस पर टिपण्णी, प्रावधान नहीं किया जा सकेगा |

3) स्थाई आस्तियो का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-2025में नहीं किया गया हैं |

4) बैंक द्वारा अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए पिछले वर्षों में जो प्रावधान किया गया था वह इस वर्ष के आर बी आई नोर्म्स के अनुरूप योग्य प्रावधान से अधिक है | बैंक द्वारा ऋण असंतुलन को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष अतिरिक्त प्रावधान को वापस आय में नहीं लिया है |

5) बैंक द्वारा इस वर्ष अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए 7.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो कि आर बी आई नोर्म्स के अनुरूप नहीं है, जिसके कारण बैंक द्वारा इतनी ही राशि से शुद्ध लाभ को कम किया गया है |

-:समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और उन पर लगे आरोपों का उत्तरदायित्व :-

बैंक के प्रबंधन (प्रशासक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी) इन समेकित वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के सम्बन्ध में जिम्मेदार हैं जो वित्तीय स्थिति, नगदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, आमतौर पर भारत में स्वीकार किये गये लेखाकन सिद्धांतो के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा लेखामानक, और समय-समय बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्र और दिशा निर्देश के अनुसार हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियो की सुरक्षा और रोकथाम का पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव भी शामिल हैं। उचित लेखांकन नीतियों का चयन करना और लागू करना निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं और पर्याप्त आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि एक सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने वाले वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं और धोकाधडी या त्रुटी के कारण भौतिक रूप से बेमेल विवरण से ग्रसित नहीं हैं।

वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी में, प्रबंधन एक जिम्मेदार चिंता के रूप में जारी रखने की बैंक की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार हैं, जैसा कि लागू होता हैं. चिंता से सम्बंधित मामले और लेखांकन के चलते चिंता के आधार का प्रयोग करना जब तक प्रबंधन या तो बैंक को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता हैं। संचालन, या ऐसा करने के लिए वास्तविक विकल्प नहीं हैं।

-: वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियां:-

हमारा उद्देश्य इस बात के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना हैं कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय स्थिति भौतिक ग़लतफहमी से मुक्त हैं। क्या धोखाधड़ी की वजह से और एक ऑडिटर रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमे हमारी राय भी शामिल हैं। उचित आश्वासन, आश्वासन का

एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं हैं की SAsके अनुसार एक लेखापरीक्षा हमेशा एक भौतिक रूप से बेमेल विवरण का पता लगाएगा | बेमेल विवरण धोखाधड़ी या त्रुटी से उत्पन्न हो सकते हैं और मन जाता की अगर, व्यक्तिगत रूप से या कुलमिला कर, तो वे इन वित्तीय विवरण के आधार पर उपयोगकर्ताओ के आर्थिक निर्णयों के बारे में यथोचित अपेक्षा की जा सकती हैं।

लेखा परीक्षा पर मानको के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं जो पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह को बनाये रखते हैं। हम भी:

वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमो को पहचाने और उनका आकलन करे, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटी के कारण हो, उन जोखिमों के लिए ऑडिट प्रक्रियाओ का डिजाईन और निष्पादित करे, और ऑडिट साध्य प्राप्त करे जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो । धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटी के परिणाम स्वरुप होने वाले एक से अधिक हैं, क्यूकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझ कर चुक, गलत बयानी, या आतंरिक नियंत्रण पर रौब जमाना शामिल हो सकती हैं।

इस्तेमाल की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गये लेखांकन अनुमानों और सम्बंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करे |

लेखांकन के चल रहे चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला हैं, और प्राप्त ऑडिट साध्य के आधार पर, क्या एक घटना या परिस्थितियो से सम्बंधित सामग्री में अनिश्चितता मौजूद हैं जो बैंक की चिंता पर महत्त्वपूर्ण सदेह कायम कर सकती हैं, जो की एक चिंता का विषय हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकलते हैं कि कोई भौतिक अस्थिरता मौजूद हैं, तो हमारी राय संशोधित करने के लिए, यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में सम्बंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा | हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साध्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओ या स्थितियों के कारण बैंक, चिंता का विषय बन सकता हैं।

खुलासे सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करे, और क्या वित्तीय विवरण अन्तर्निहित लेनदेन और घटनाओ को इस तरह से दशति हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुती प्राप्त करते हैं।

हम ऑडिट की योजना बनाते समय महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, आतंरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिन्हें हम ऑडिट के दौरान पहचानते हैं प्रबंधन के लिए जिम्मेदारो के साथ संवाद करते हैं। हम एक विवरण के माध्यम से प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी के साथ संवाद करते हैं। जो हम स्वतंत्रता के सम्बन्ध मेंप्रासंगिक, नैतिक आवश्यकताओं के साथ संपन्न और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलो के साथ समझौता करे जो हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित रूप से सोच सकते हैं, और जहाँ लागु हो, सम्बंधित सुरक्षा पत्र ले सकते हैं।

शासन के साथ आरोप लगाए गये मामलो से हम उन मामलो को निर्धारित करते हैं जो वर्त्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण थे और इसलिए वे महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलो का वर्णन करते हैं जब तक की कानून या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता हैं या जब तक अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेक्षित नहीं किया जाना चाहिए क्यूंकि ऐसा करने के दुष्परिणामो की यथोचित अपेक्षा होगी | इस तरह के संचार के जनहित लाभों की तुलना करे ।

-: अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओ पर रिपोर्ट :-

1) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार बैलेंसशीट और लाभ और हानि खाता तैयार किया गया हैं;

2) बैंकिंग कंपनियों द्वारा आवश्यकता के अनुसार पैराग्राफ 4 तक की ऑडिट की सीमओं के अधीन (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980, और इस के साथ ही आवश्यक प्रकटीकरण की सीमओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं किः

हमने उन सभी सूचनाओ और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया हैं जो हमारे ज्ञान और विश्वास के सर्वश्रेष्ठ के लिए हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया हैं।

बैंक के लेंन-देंन, जो हमारे संज्ञा में आए हैं, बैंक की शक्तियों के भीतर हुए हैं; तथा

हमारे लेखापरीक्षा के प्रायोजनो के लिए बैंक के कार्यालयों और शाखाओ से प्राप्त प्रतिफल पर्याप्त पाए गये हैं।

आगे की रिपोर्ट हैं कि :-

हमारी राय में कानून द्वारा आवश्यक खातो की उचित खाता बही बैंक द्वारा अब तक राखी गयी हैं क्यूंकि यह उन खाता बही की हमारी परीक्षा से प्रकट होती हैं और हमारे ऑडिट के प्रयोजनो के लिए जिन शाखाओ में दौरा नहीं किया गया हैं वहां से पर्याप्त रिटर्न प्राप्त किये गए है।

इस रिपोर्ट के साथ बैलेंसशीट, लाभ और हानि खाता और नगदी प्रवाह का विवरण खाते की पुस्तको साथ और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओ से प्राप्त विवरणियो के साथ सलग्ग्र हैं।

हमारी राय में बैलेंसशीट, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह का विवरण लागू लेखांकन मानको का पालन करते हैं इस हद तक कि वे RBI द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं |

इस रिपोर्ट के साथ बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता और नगदी प्रवाह का विवरण खाते की पुस्तको के साथ और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गयी शाखाओ से प्राप्त विवरणियों के साथ सलग्न हैं।

अतः नाबार्ड के परिपत्र क्रमांक / 83/ डॉस-13 / 2013 दिनांक 6 मई 2013 के द्वारा निर्धारित मापदंडो के अनुसार बैंक को अंकेक्षण वर्गीकरण के "अ" वर्ग में वर्गीकृत किया जाता हैं।

वास्ते राहुल चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर-008585C

(सी.एराहुल चौधरी)
पार्टनर
मेम्बरशिप नंबर-077703
UDIN : 25077703BMIZNS1073

स्थान : विदिशा
दिनांक : 10-06-2025